Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 132–2021/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, AUGUST 16, 2021 (SRAVANA 25, 1943 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 16th August, 2021

No. 22-HLA of 2021/ 68/20744.— The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Haryana Amendment) Bill, 2021, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:–

Bill No. 22-HLA of 2021

THE RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION AND RESETTLEMENT (HARYANA AMENDMENT) BILL, 2021

A

BILL

further to amend the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in its application to the State of Haryana.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows:–

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Haryana Amendment) Act, 2021.

(2) It shall come into force on such date, as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

Amendment of section 2 of Central Act 30 of 2013.

2. In sub-section (2) of section 2 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (hereinafter called the principal Act),-

(i) in the third proviso, for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted; and

(ii) after the third proviso, the following proviso shall be added, namely:-

"Provided further that the acquisition of land for the projects specified in section 10A and the purposes specified therein shall be exempted from the provision of sub-clause (ii) of clause (b) of this sub-section.".

3. After section 10 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:– Insertion of section 10A in Central Act 30 of 2013.

"10A. Power to exempt certain projects.— The State Government may, in public interest, by notification in the Official Gazette, exempt any of the following projects from the application of the provisions of Chapters II and III of this Act, namely:–

(a) projects vital to national security or defence of India and every part thereof, including preparation of defence or defence production;

(b) rural infrastructure including electrification;

(c) affordable housing, housing for poor people and for rehabilitation of persons displaced due to either acquisition of land by the State Government or by any natural calamity;

(d) industrial corridors set up by the State Government or its undertakings wherein the land may be acquired upto two kilometers on both sides of designated railway lines or roads for such industrial corridor;

(e) infrastructure projects relating to health, education and projects mentioned under clause (b) of sub-section (1) of section 2 including projects under public private partnership where the ownership of land continues to vest with the State Government;

(f) urban metro rail and rapid rail projects:

Provided that before issuance of notification under sub-section (1), the State Government shall ensure that the minimum extent of land required for acquisition for such project or purpose is notified.".

4. After section 23 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:- Insertion of section 23A in Central Act 30 of 2013.

"23A. Award of Collector without further enquiry in certain cases.– (1) Notwithstanding anything contained in section 23, if at any stage of the proceedings, the Collector is satisfied, for reasons to be recorded in writing, that all the persons interested in the land who appeared before him, have agreed with their free will and consent on such terms and conditions to be included in writing in the agreement, he may, without making further enquiry, determine the fair compensation and make an award in such form, as may be prescribed, according to the terms of the agreement.

(2) The award made under sub-section (1) shall not in any way affect the determination of compensation in respect of other lands in the same locality or other locality, in accordance with the other provisions of this Act.

(3) Notwithstanding anything contained in the Registration Act, 1908 (Central Act 16 of 1908), an agreement made under sub-section (1) may be registered under the said Act.".

5. After section 31 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:- Insertion of section 31A in Central Act 30 of 2013.

"31A. Payment of lump sum amount in lieu of rehabilitation and resettlement amount.– Notwithstanding anything contained in this Act, the State Government shall pay, whenever the land is to be acquired for its own use measuring less than two hundred acres or the land for projects which are linear in nature as referred to in proviso to sub-section (4) of section 10, in lieu of rehabilitation and resettlement amount, lump sum amount equal to fifty per cent in addition to the amount of compensation as determined under section 27 to the affected family.".

6. For sub-section (2) of section 40 of the principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely:- Amendment of section 40 of Central Act 30 of 2013.

"(2) The powers of the State Government under sub-section (1) shall be restricted to the minimum area required for the defence of India or national security or for any emergencies arising out of natural calamities or any other emergency with the approval of State Legislature or to comply with the directions given by the State Legislature to the State Government:".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The enactment of 'The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013' (hereinafter referred to as the Act of 2013) by the Parliament has given rise to a new approach to the issue of land acquisition for development purposes with a view to ensure that the farmers who part with their lands are enabled to share the benefits of progressive development. The acquisitions instead of putting them at a disadvantage make them a stakeholder as well as a shareholder in the development process. The Act envisages a number of provisions not only as regards payment of compensation but also for rehabilitation and resettlement of the farmers/landowners.

Hence, to protect the overall public interest, it is proposed to amend certain provisions of the Act of 2013 considering the state specific circumstances of the State of Haryana.

As a result, sections requiring amendments are sections 2(2), 40(2). New sections 10A, 23A &31A are proposed to be inserted in order to strike a balance between the needs of acquiring land and providing fair compensation to the landowners.

Hence, this Bill to amend 'The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013' in its application to the State of Haryana.

DUSHYANT CHAUTALA,
Deputy Chief Minister, Haryana.

The Governor has, in pursuance of Clauses (1) and (3) of Article 207 of the Constitution of India, recommended to the Haryana Legislative Assembly the Introduction and consideration of the Bill.

Chandigarh:
The 16th August, 2021.

RAJENDER KUMAR NANDAL,
Secretary.

FINANCIAL MEMORANDUM

The enactment of 'The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013' (hereinafter referred to as the Act of 2013) by the Parliament has given rise to a new approach to the issue of land acquisition for development purposes with a view to ensure that the farmers who part with their lands are enabled to share the benefits of progressive development. The acquisitions instead of putting them at a disadvantage make them a stakeholder as well as a shareholder in the development process. The Act envisages a number of provisions not only as regards payment of compensation but also for rehabilitation and resettlement of the farmers/landowners.

Therefore, to ensure that the existing infrastructural projects are completed and do not suffer and to protect public interest, the State Government intends to amend section 2 and insert section 10-A in The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013) to exempt certain development project i.e. rural infrastructure, affordable housing, industrial corridors and health & education and urban metro rail projects etc. from the preview of chapter II & III of the Principal Act pertaining to conducting Social Impact Assessment Study and Food security respectively. A new section 23-A is to be inserted in case there is an agreement in writing with the persons interested and making an award. Further, State Government intends to insert section 31-A pertaining to payment of lump sum amount, in lieu of rehabilitation and resettlement costs for projects linear in nature, with a lump sum amount of 50 % of compensation determined, to the affected family. Further, to facilitate urgent acquisition of land in certain cases under section 40 of the Principal Act, the words 'approval of parliament' are to be substituted with the words 'or to comply with the direction given by the State Legislature to the State Government'.

There will be financial implication on the State Exchequer on account of payment of compensation for acquisition and rehabilitation and resettlement cost of land owners/farmers.

DUSHYANT CHAUTALA,
Deputy Chief Minister, Haryana.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2021 का विधेयक संख्या 22 एच.एल.ए.

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2021

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. (1) यह अधिनियम भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2021, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

(2) यह ऐसी तिथि से लागू होगा, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 2 की उप–धारा (2) में,– 2013 के केन्द्रीय अधिनियम 30 की धारा 2 का संशोधन ।

(i) तृतीय परन्तुक में, अंत में विद्यमान, ''।'' चिह्न के स्थान पर, ":" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा

(ii) तृतीय परन्तुक के बाद, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :–

''परन्तु यह और कि धारा 10क में विनिर्दिष्ट परियोजनाओं तथा इसमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु भूमि के अर्जन को इस उप–धारा के खण्ड (ख) के उप–खण्ड (ii) के उपबन्ध से छूट होगी ।''।

3. मूल अधिनियम की धारा 10 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :– 2013 के केन्द्रीय अधिनियम 30 की धारा 10 क का रखा जाना ।

''10क. कतिपय परियोजनाओं को छूट देने हेतु शक्ति.– राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, लोक हित में, इस अधिनियम के अध्याय II और III के उपबन्धों के लागू होने से निम्नलिखित किन्हीं परियोजनाओं में छूट दे सकती है, अर्थातः–

(क) भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा रक्षा के लिए अत्यावश्यक ऐसी परियोजनाओं और उसके प्रत्येक भाग, इसमें रक्षा तैयारी अथवा रक्षा उत्पादन भी शामिल हैं;

(ख) विद्युतिकरण सहित ग्रामीण अवसरंचना;

(ग) किफायती आवासन, निर्धन व्यक्तियों हेतु और या तो राज्य सरकार द्वारा भूमि के अर्जन या किसी प्राकृतिक आपदा के कारण विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वासन हेतु आवासन;

(घ) राज्य सरकार और इसके उपक्रमों द्वारा स्थापित औद्योगिक कोरिडोर, जिनमें ऐसे औद्योगिक कोरिडोर के लिए अभिहित रेलवे लाइनों अथवा सड़कों के दोनों ओर दो किलोमीटर तक भूमि को अर्जित किया जा सकता है;

(ड.) स्वास्थ्य, शिक्षा से सम्बन्धित अवसंरचना परियोजनाएं और धारा 2 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) में वर्णित परियोजनाएं, इसमें सार्वजनिक निजी भागीदारी के अधीन परियोजनाएं भी शामिल हैं जहां भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार में निहित रहता है;

(च) शहरी मेट्रो रेल तथा तीव्र रेल परियोजनाएं :

परन्तु उप–धारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी करने से पूर्व, राज्य सरकार, सुनिश्चित करेगी कि ऐसी परियोजनाओं या परियोजन के लिए अर्जन हेतु अपेक्षित न्यूनतम सीमा तक भूमि अधिसूचित कर दी गई है।''।

4. मूल अधिनियम की धारा 23 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थातः– 2013 के केन्द्रीय अधिनियम 30 में धारा 23 क का रखा जाना ।

''23क. कतिपय मामलों में आगामी जांच के बिना कलक्टर का अधिनिर्णय. (1) धारा 23 में दी गई किसी बात के होते हुए भी, यदि कार्यवाहियों के किसी स्तर पर, कलक्टर की लिखित में लिपिबद्ध किए जाने वाले कारणों से सन्तुष्टि हो जाती है कि जो उसके सम्मुख उपस्थित हुए हैं, भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्ति, करार में शामिल किए जाने वाले ऐसे निबन्धन तथा शर्तों पर अपनी मुक्त इच्छा तथा सम्मति से सहमत हो गए हैं, तो वह, आगामी कोई जांच किए बिना, उचित प्रतिकर का निर्धारण कर सकता है तथा करार की शर्तों के अनुसार ऐसे ढंग में अधिनिर्णय कर सकता है, जो विहित किया जाए ।

(2) उप–धारा (1) के अधीन किया गया अधिनिर्णय, इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अनुसार उसी परिक्षेत्र या अन्यत्र परिक्षेत्र में अन्य भूमियों के सम्बन्ध में प्रतिकर के निर्धारण को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा ।

(3) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 16) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, उप–धारा (1) के अधीन किया गया कोई करार, उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जा सकता है।''।

2013 के केन्द्रीय अधिनियम 30 में धारा 31 क का रखा जाना ।

5. मूल अधिनियम की धारा 31 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:–

''31क. पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन राशि के बदले में एकमुश्त राशि का भुगतान.– इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, जब कभी इसके अपने उपयोग के लिए दो सौ एकड़ से कम मात्रा में अथवा परियोजनाओं, जो धारा 10 की उप–धारा (4) के परन्तुक में यथा निर्दिष्ट दीर्घकालीन प्रकृति की हैं, के लिए भूमि अर्जित की जानी है, प्रभावित कुटुंबों को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन राशि के बदले में धारा 27 के अधीन यथा निर्धारित प्रतिकर की राशि के अतिरिक्त पचास प्रतिशत के बराबर ऐसी एकमुश्त राशि का भुगतान करेगी ।''।

2013 के केन्द्रीय अधिनियम 30 की धारा 40 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 40 की उप–धारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

''(2) उप–धारा (1) के अधीन राज्य सरकार की शक्तियां, भारत की रक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा या प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न होने वाले किन्हीं आपातों या राज्य विधानमण्डल के अनुमोदन से किन्हीं अन्य आपातों या राज्य सरकार को विधानमण्डल द्वारा दिए गए निर्देशों की अनुपालना में अपेक्षित न्यूनतम क्षेत्र तक निर्बन्धित होंगी:''।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

संसद द्वारा पारित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे बाद में 2013 का अधिनियम कहा गया है) ने विकास कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण के मामलों को एक नई दृष्टि दी है ताकि भूमि से वंचित होने वाले किसानों को विकास के लाभ सांझा करने के योग्य बनाया जा सके। यह भूमि अधिग्रहण किसानों के अहित के स्थान पर उन्हें विकास प्रक्रिया में हितधारक और साथ ही साथ हिस्सेदार भी बनाता है। इस अधिनियम में किसानों/भूमि मालिकों के लिए न केवल मुआवज़ा प्रदान करना अपितु उनके पुनर्वास एंव पुनर्व्यवस्थापन हेतु भी कई प्रकार के प्रावधान रखे गये हैं।

अतः हरियाणा राज्य की विशिष्ट परिस्थितियों को मध्यनज़र रखते हुए सम्पूर्ण सार्वजनिक हितों की रक्षा हेतु 2013 के अधिनियम के कुछ प्रावधानों को संशोधित करने का प्रस्ताव है। परिमाणस्वरूप, धारा 2(2) तथा 40(2) में संशोधन की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त भूमि मालिकों को न्यायोचित मुआवज़ा प्रदान करने तथा भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता में संतुलन बनाने हेतु नई धाराएं 10ए, 23ए व 31ए को जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 में संशोधन हेतु यह विधेयक है जो कि हरियाणा राज्य में लागू होगा।

दुष्यंत चौटाला,
उप–मुख्य मंत्री, हरियाणा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 16 अगस्त, 2021.

आर० के० नांदल,
सचिव।

वित्तीय ज्ञापन

संसद द्वारा पारित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे बाद में 2013 का अधिनियम कहा गया है) ने विकास कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण के मामलों को एक नई दृष्टि दी है ताकि भूमि से वंचित होने वाले किसानों को विकास के लाभ सांझा करने के योग्य बनाया जा सके। यह भूमि अधिग्रहण किसानों के अहित के स्थान पर उन्हें विकास प्रक्रिया में हितधारक और साथ ही साथ हिस्सेदार भी बनाता है। इस अधिनियम में किसानों/भूमि मालिकों के लिए न केवल मुआवज़ा प्रदान करना अपितु उनके पुनर्वास एंव पुनर्व्यवस्थापन हेतु भी कई प्रकार के प्रावधान रखे गये हैं।

अतः राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने की आवश्यक ढांचागत परियोजनाएं पूर्ण हों और उन पर कोई प्रभाव न पड़े और सार्वजनिक हितों की रक्षा हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे बाद में 2013 का अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में संशोधन करना तथा कई विकास परियोजनाओं जैसे ग्रामीण बुनियादी ढांचा, किफायती आवास, औद्योगिक गलियारे और स्वास्थ्य व शिक्षा तथा शहरी मैट्रो रेल परियाजनाओं इत्यादि को मूल अधिनियम के अध्याय II व III जिनका सम्बंध सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन तथा खाद्य सुरक्षा से है, से छूट देने हेतु नई धारा 10क जोड़ना चाहती है। राज्य सरकार उस स्थिति में जहां हितबद्व व्यक्तियों के साथ लिखित में समझौता हो तथा अवार्ड करने हेतु एक नई धारा 23क जोड़ना चाहती है। इसके अतिरिक्त रैखिक रूप वाली परियोजनाओं के लिए प्रभावित परिवारों को पुनर्वास एंव पुनस्थार्पन लागत एकमुश्त राशि जो कि निर्धारित मुआवज़े का 50 प्रतिशत है, प्रदान करने बारे धारा 31क जोड़ना चाहती है। इसके अतिरिक्त मूल अधिनियम की धारा 40 के तहत कई मामलों में भूमि को शीघ्र अधिग्रहण करने हेतु शब्द 'संसद के अनुमोदन' को शब्द 'या राज्य विधानसभा द्वारा राज्य सरकार को दी गई हिदायतों का पालन' से प्रस्थापित किया जाना है।

भूमि अधिग्रहण के मुआवज़े के भुगतान तथा भूमि मालिकों/किसानों के पुनर्वास एंव पुनस्थार्पन की लागत के कारण सरकार के राजकोष पर वित्तीय विविक्षा होगी।

दुष्यंत चौटाला,
उप–मुख्य मंत्री, हरियाणा।